Minister had also written a letter on 19-6-90 to all the Chief Ministers, indicating the specific steps that are to be taken to check atrocities and to enforce the Act effectively.

(d) No, Sir.

(e) The question does not arise.

Pending projects of new lines/gauge conversions

3600. SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) how many railway projects of new line, gauge conversion are pending at the end of the Seventh Plan;

(b) what was their completion target for each of above projects;

(c) the reasons for delay in their execution; and

(d) whether Government is program ming to their early completion ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) 27 New Lines and 9 Gauge Conversion projects were pending at the end of VII Plan.

(b) Target for commissioning during 1990-91 was laid only for following pro jects :

New Lines

(i) Koraput-Rayagada	31-3-91.
(ii) Adilabad-Pimpalkutti	31-3-91.
(iii) Kota-Chittaurgarh-Neemuch	31-10-90.
(iv) Lalabazar-Bhairabi	31-12-90.

Gauge Conversions

(i) Guntur-Macherla 1-5-90. (ii) Varanasi-Bhatni 31-7-90.

(c) and (d) The progress has been com mensurate with the availability of resources. The completion can only be planned within the resources allotted.

दिल्ली से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाना

3601. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली से कुछ सरकारी कार्यालयों को देश के अन्य शहरों में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने कार्यालयों को स्थानान्तरित किया गया है और उन्हें किन-किन स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया है और शेष कार्यालयों को कब तक स्थानान्तरित किए जाने का विचार है और उन्हें किन-किन स्थानों पर स्थानान्तरित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या चालू वर्ष में यह निर्णय भी लिया गया है कि दिल्ली में कोई नया कार्यालय नहीं खोला जाएगा, यदि नहीं तो उसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार दिल्ली में भीड़ को कम करने के उद्देश्य से कुछ अन्य उपायों पर भी विचार कर रही है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरसोली मारन) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) 1957 में यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियन्त्रणाधीन सांविधिक अथवा निगमित निकायों के किसी भी नए कार्यालय को आवास संबंधी मंत्रिमण्डल समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बगैर दिल्ली में स्थापित नहीं किया जाए अथवा बाहर से दिल्ली में नहीं लाया जाए । चालू वर्ष में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है तथा इस बारे में पिछले आदेशों का अनुसरण किया जा रहा है ।

(घ) यद्यपि, सन् 2000 तक दिल्ली की जनसंख्या को 112 लाख तक नियंत्रित